सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या–सम्पत्ति/किराया–भ0प0–किराये पर संचालित भवन/2023–24/ 143 / राज्य कर,
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0
(सम्पत्ति/किराया अनुभाग)
लखनऊ::दिनाक:: 16 ::अगस्त, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।

विषयः–वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोगार्थ किराये पर लिए गये भवनों के सम्बन्ध में सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–369/11–4–2023 दिनांक 09.8.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में किराये पर संचालित वाणिज्य कर कार्यालय भवानों के सम्बन्ध में विशेष सचिव, राज्य कर विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.8.2023 को सम्पन्न बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

1. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि एक ही जनपद में तहसील स्तर एवं जनपद स्तर पर कई कार्यालय भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिये गये है जिनमें एक कार्यालय में एक ही स्तर के कई अधिकारी के कार्यालय कक्ष उपलब्ध है। इनकी आवश्यकता एवं औचित्य स्पष्ट किया जाये।
2. जिन जनपदों में राज्य कर विभाग के विभागीय भवन है वहॉ किस आधार पर भवन कार्यालय के उपयोगार्थ किराये पर लिये गये है, कृपया आख्या उपलब्ध करायी जाये।

अतः उक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या–369/11–4–2023 दिनांक 09.8.2023 द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि, शासन के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अपने अधीनस्थ जनपदो में उल्लिखित तथ्य का परीक्षण करें कि, एक ही जनपद में तहसील स्तर एवं जनपद स्तर पर कई कार्यालय भवन कार्यालय के उपयोगार्थ किराये पर भवन लिये जाने की क्या आवश्यकता एवं औचित्य है ? तथा जिन जनपदों में राज्य कर विभाग के विभागीय भवन है वहॉ किस आधार पर भवन कार्यालय के उपयोगार्थ किराये पर लिये गये है ? के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि वांछित सूचना/आख्या शासन की सेवा में प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकित पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति/किराया सेल)
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या–369 / 11–4–2023

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

राज्य कर, अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक: 09 अगस्त, 2023

विषयः– वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोगार्थ किराये पर लिए गये भवनों के सम्बंध में सूचना।

अपर आयुक्त (प्रशा०)

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर विशेष सचिव राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन, की अध्यक्षता में दिनांक 09.08.2023 को सम्पन्न बैठक का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

कृते आयुक्त
10.08.2023

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017 में जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने पर उसके परिणामी प्रभाव के दृष्टिगत कृपया निम्नलिखि बिन्दुओ पर सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1532

1. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि एक ही जनपद में तहसील स्तर एवं जनपद स्तर पर कई कार्यालय भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिये गये है जिनमें एक ही कार्यालय में एक ही स्तर के कई अधिकारी के कार्यालय कक्ष उपलब्ध है। इनकी आवश्यकता एवं औचित्य स्पष्ट किया जाये।
2. जिन जनपदो में राज्य कर विभाग के विभागीय भवन है वहाँ किस आधार पर भवन कार्यालय के उपयोगर्थ किराये पर लिये गये है, कृपया आख्या उपलब्ध करायी जाये।
3. विभिन्न जनपदो में किराये के कार्यालय भवनो की भूमि खोज कर सरकारी कार्यालय मे स्थापित किये जाने हेतु सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रयास करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

अपर आयुक्त (प्रशा०)
10-8-2023
298

श्री राम सहाय

56
11-08-2023